

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगाँव (भागलपुर)
(E-mail :- ee88kahalgaon@gmail.com)**

पत्रांक:-...../

कहलगाँव,

दिनांक-...../09/2026

पुर्नकोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या- (NIQ)-08/2026-27

भाड़े पर निरीक्षण वाहन उपलब्ध कराने हेतु का आमंत्रण सूचना

गंगा पम्प नहर प्रमंडल कहलगाँव के अन्तर्गत अवर प्रमंडलीय कार्यालय हेतु अवर प्रमंडलाधीन चल रहे योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणीयों/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के अन्तर्गत नहर के निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने हेतु इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर 01 (एक) अदद वाहन बोलेरो के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 30.09.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगाँव कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03:30 बजे अपराह्न में कोटेशन को खोला जाएगा। कोटेशन दाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

क0सं0	भाड़े के वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	वाहन का प्रकार	संख्या
01	अवर प्रमंडल पदाधिकारी (गंगा पम्प नहर प्रमंडल कहलगाँव अन्तर्गत)	बोलेरो	एक अदद

कोटेशन की शर्त:-

1. निविदादाताओं को वित्तीयदर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क0सं0	वाहन का प्रकार	संख्या	प्रतिमाह दर

- भाड़े पर वाहन कोटेशन निष्पादन के उपरांत से 31 मार्च 2027 तक के लिए लिया जाएगा। सेवा संतोषजनक रहने पर एकरारित दर पर अगले वित्तीय वर्ष (2027-2028) के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है।
- वाहन मालिक/फर्म का वैध पैन एवं जी0एस0टी0 नंबर होना चाहिए।
- वाहन का वैध वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण पत्र, प्रदुषण पत्र (पी0यू0सी0) Fastag, रोड टैक्स, तथा Insurance आदि मोटर अधिनियम के अनुसार अद्यतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
- वाहन प्रदाता के फर्म होने की स्थिति में यह मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।
- वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) दैनिक साफ-सफाई एवं सभी प्रकार के मरम्मत, तैलिया आदि उपलब्ध कराना इत्यादि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म की होगी।
- वाहन चालक की मानदेय, भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म की होगी।
- नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
- वाहन चालक के पास अद्यतन एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
- वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- मासिक किराया जिला नजारत उप समाहर्ता भागलपुर के पत्रांक 845 दिनांक 06.10.2025 द्वारा स्वीकृत दर बोलेरो का दर प्रति माह रूपया 24000.00 (चौबीस हजार) मात्र (ईधन रहित एवं चालक सहित) के बराबर या न्यूनतम उद्धृत दर के कोटेशनदाता के साथ रु0 1000.00(एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाएगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा।
- आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि में किया जा सकता है, इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया का दावा मान्य नहीं होगा।

14. वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी या अन्य व्यवसायिक कार्यों में नहीं किया जाएगा।
16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।
17. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं इनकम टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जाएगी।
18. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि को कोटेशन खोले जाने के समय वाहन मालिक/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. बिना कारण बताये समय परिवर्तन एवं कोटेशन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी अथवा कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-

(ई0 बिमलेन्द्र कुमार)

आई0डी0न0- 5414

कार्यपालक अभियंता,

गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगॉव।

पत्रांक:- 1415/

कहलगॉव

दिनांक:- 12/09/2026

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु तथा राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु समर्पित।

(ई0 बिमलेन्द्र कुमार)

आई0डी0न0- 5414

कार्यपालक अभियंता,

गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगॉव।